



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/ विविध-1ए/115-900 ए/२९३४

दिनांक 16/12/2022

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
 कवर्धा वन मंडल, कवर्धा
 छत्तीसगढ़

विषय :- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Raipur Lying Optical Fiber Cable (OFC) Line in Kawardha forest division under Kbirdham Distic of Chhattisgarh State, area- 5.034 ha.**

पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/139649/ 2021

संदर्भ:- 1. छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय का पत्र क्र एफ 05-23/2022/10-2 दिनांक 07.12.2022
 2. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 8914 दिनांक 12.12.2022

* * * * *

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र-2 द्वारा कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत आवेदक संस्थान जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा 5.034 हे. वन भूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव का नोडल कार्यालय द्वारा परीक्षण किये जाने पर ऑफलाईन त्रुटियां पायी गई है जो निम्नानुसार है --

पूर्व में आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा बलौदाबाजार जिले के बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव को छ.ग. शासन वन विभाग को प्रेषित किया गया था। छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के संदर्भित पत्र-1 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रस्ताव में ली गई आपत्तियों की विषयांकित प्रस्ताव में पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

ऑफलाईन त्रुटियां

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक-29 कंडिका -9 में उल्लेखित न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र में वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक-35 भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है) में गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदित वन भूमि के रकबा को कक्षवार एकजाई कर छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र दिनांक 07.12.2022 में निर्धारित तालिका अनुसार जानकारी दिया जावे।
3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक-39 प्रपत्र-3 वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदित वन भूमि के रकबा को कक्षवार एकजाई कर छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र दिनांक 07.12.2022 में निर्धारित तालिका अनुसार जानकारी दिया जावे।

प्रपत्र-3 स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। नाम एवं पदनाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

4. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक-113, कंडिका-20 में पंजीयन शुल्क एवं प्रक्रिया शुल्क की राशि रु. 64000/- कोषालय में जमा किये जाने हेतु लेख किया गया है। चालान की प्रति संलग्न नहीं किया गया है। कोषालय में जमा किये गये राशि के चालान की प्रति संलग्न करें।

अतः उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव मूलतः संलग्न प्रेषित है। कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

- संलग्न:— 1. प्रस्ताव मूलतः (03 प्रति में)
2. संदर्भित पत्र-1 की छायाप्रति (02 पृष्ठ)


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 900ए/2939

रायपुर, दिनांक 16/12/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
 2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड़डू), रायपुर (छ.ग.)।
- संलग्न:— संदर्भित पत्र-2 की छायाप्रति (02 पृष्ठ)


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(27)

क्रमांक एफ 5-23/2022/10-2

नवा रायपुर, दिनांक /12/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

एवं वन बल प्रमुख

छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,

नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा बलौदाबाजार जिले के बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.350 हे. वन भूमि का FCA 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-1ए/115-928 ए/2658, दिनांक 17.11.2022।

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं :-

1. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के प्रकरणों में राज्य शासन स्तर से जारी की जा रहे अनुमति पत्रों में अनुमति प्रदाय किये जा रहे कार्य स्थल का विवरण जैसे कक्ष क्र., खंति की लंबाई, चौड़ाई और गहराई आदि संबंधी विस्तृत विवरण दिया जा रहा है फिर भी भारत नेट परियोजना के ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने संबंधी वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में यह देखा जा रहा है कि, कार्य स्थल पर दूसरे वन कक्षों में कार्य कर FCA Violation किया जा रहा है। विषयांकित प्रकरण में आवेदित स्थल का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।

विषयांकित प्रकरण में आवेदित वन क्षेत्र के विवरण में एक ही कक्ष क्रमांक को अनेक बार आवेदित किया गया है। इस तरह के विवरण से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि, एक वन कक्ष में कुल आवेदित रकबा कितना है? उक्त बाबत भारत नेट परियोजनाओं के प्रकरणों में भी पूर्व में विभागीय पत्र क्र. एफ 5-32/2020/10-2, दि. 11.01.2021 के माध्यम से आपको लेख किया गया है।

कृपया विषयांकित प्रकरण में आवेदित वन भूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग-II) में आवेदित उक्त वन भूमि का रकबा को कक्षवार एकजाई कर निम्न तालिका अनुसार प्रदाय करें :-

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे) में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आरक्षित वनभूमि का योग									
संरक्षित वनभूमि का योग									
क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे) में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्व वनभूमि का योग									
कुल योग									

क्रमशः 2

2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 29 से 36 में व्यवस्थित Form IV में वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर लिया जाना होता है किंतु उक्त प्रमाण पत्र को आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। कृपया उक्त Form IV में वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 38 में उल्लेखित प्रमाण पत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र में वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर लिया जाना होता है किंतु उक्त प्रमाण पत्र को आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। कृपया उक्त प्रमाण पत्र पर वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
4. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 78 में उल्लेखित प्रमाण पत्र में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि का रकबा निरंक लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि, पूर्व में भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत आवेदक संस्थान मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर को भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु बलौदाबाजार वनमंडल में संभवतः वनमंडलाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदाय की गई है किंतु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 78 में व्यवस्थित प्रमाण पत्र में निरंक लेख किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।
5. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 78 में उल्लेखित प्रमाण पत्र में वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत लिया जाना होता है किंतु उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होना आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। कृपया उक्त प्रमाण पत्र पर वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- 2/- कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर उल्लेखित त्रुटियों के अनुरूप संशोधित पत्राचार/ जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरान्त प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

विविध- A

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़, रायपुर

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 7/12/2022

पृष्ठांक क्रमांक एफ 5-23/2022/10-2
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमंडल, छत्तीसगढ़।
4. आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग